

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दिये गये हैं जिससे प्रकरण में वाद हेतु
उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी व्यक्ति
दिये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व
अलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व कथुलाप की
वदस्त के पश्चात् जाहिर है कि प्रार्थना पत्र
में वर्णित भूमि बमणिया के करानं. 557/333
रकबा 0.1850 हेक्टर पर प्रस्ताव मॉने के
जोटीचिअ अनुसार किसी प्रकार के अष्टवि
प्रयोजन के उपयोग में लिये जाने की प्राप्ति
नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पक्ष
सरकार आरिज किया जाता है पत्रावली जिसका
शुमार हेक्टर नंबर से कम है।

SDO